श्री राघवेन्द्र सिंह, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, बक्सर द्वारा दिनांक 04.05.2018 को समाहरणालय, बक्सर अवस्थित विभिन्न शाखाओं का औचक निरीक्षण की टिप्पणी।

आज दिनांक 04.05.18 को प्रभार ग्रहण करने के पश्चात समाहरणालय अवस्थित विभिन्न शाखाओं का औचक निरीक्षण सरसरी तौर पर किया गया। निरीक्षण के दौरान कई शाखाओं के दीवाल पर मकड़ी का जाल लगा हुआ पाया गया। साथ ही यह भी पाया गया कि कई शाखाओं में कर्मियों / प्रधान लिपिक के द्वारा न तो अपना परिचय पत्र लगाया गया था और न ही अपने टेबुल पर नेम प्लेट एवं अपने बैठने के स्थान के पीछे सुगोचर स्थान पर कर्त्तव्य तालिका लगाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि कार्यालय में साफ–सफाई का अभाव है एवं कार्यालय के प्रभारी का अपने अधीनस्थ कर्मियों पर नियंत्रण नहीं है। इसके अलावा सभी शौचालयों में साफ–सफाई का स्तर निम्नतम पाया गया। नजारत उप समाहर्त्ता को निदेश दिया जाता है कि इस दिशा में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी शाखा के प्रभारी पदाधिकारी/प्रधान लिपिक को निदेशित किया जाता है कि अपने शाखा अंतर्गत कार्यरत सभी लिपिकों, कार्यपालक सहायक, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को परिचय–पत्र के साथ ससमय कार्यालय में उपस्थिति एवं अनुशासित रूप में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन सुनिश्चित करायेंगे। निदेशित किया जाता है कि तीन कार्य दिवस के अंदर सभी शाखाओं के सभी कर्मियों का कार्य तालिका, नेम प्लेट बनाकर तैयार कर लिया जाय तथा उचित स्थान पर स्थापित कर दिया जाय। साथ ही सभी शाखाओं की नियमित साफ–सफाई सुनिश्चित की जाय। कार्यालय में सभी कर्मी निर्धारित कार्यालय अवधि में उपस्थित पाये जाने चाहिए। औचक निरीक्षण के क्रम में अनुपस्थित पाये जाने वाले अथवा विलम्ब से कार्यालय आने वाले कर्मियों के विरूद्व कठोरतम कार्रवाई की जायेगी।

निरीक्षण के क्रम में आई0सी0डी0एस0 कार्यालय में प्रधान सहायक के संबंध में पृच्छा करने पर श्री बिरेन्द्र कुमार मिश्रा एवं श्री प्रभु नारायण मंडल, लिपिक दोनों के द्वारा बताया गया कि वे कार्यालय के प्रधान सहायक हैं। उक्त कृत्य दोनों लिपिकों की अनुशासनहीनता का द्योतक है। इस संदर्भ में उक्त दोनों लिपिकों का वेतन स्थगित करने का निदेश दिया जाता है। साथ ही यह अत्यंत खेदजनक स्थिति है कि आई0सी0डी0एस0 कार्यालय में प्रधान सहायक नामित नहीं है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वे कार्यालय के प्रधान सहायक के संदर्भ में अविलम्ब आदेश निर्गत कर संबंधित लिपिक को प्रधान सहायक का प्रभार दिलाना सुनिश्चित करें।

O/C

निरीक्षण के क्रम में यह महसूस किया गया कि समाहरणालय अवस्थित सभी शाखाओं/गैलरी को CCTV कैमरा से अच्छादित किया जाना आवश्यक है। सभी शाखाओं/गैलरी में CCTV कैमरा का Angle इस तरह से रखा जाना चाहिए कि कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मी स्क्रीन पर दिखाई दें। इस संदर्भ में नजारत उप समाहर्त्ता को अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया जाता है।

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 10-1600 /गो0 दिनांक 04.05.2018

प्रतिलिपि :– सभी कार्यालय के प्रधान सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– सभी शाखा के प्रभारी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– सभी शाखा के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:– अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर/डुमरॉव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्त्ता, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

R. Singh

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।